भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2934

(दिनांक 12.03.2021 को उत्तर देने के लिए)

एफ.एम. सेवा

2934. श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री हेमन्त पाटिल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में एफएम सेवा के तहत बड़ी संख्या में गांवों को अभी भी शामिल किया जाना बाकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(ख) देश में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/मापदंड क्या हैं;

(ग) देश में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण- III) पर नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुमोदन के बाद से उक्त मानदंडों/मापदंडों के उल्लंघन के कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) चरण-III के एफएम चैनलों की ई-नीलामी में अनियमितता/भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा एफएम सेवा के अंतर्गत प्रत्येक गांव को शामिल करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क), (ख) और (ङ): वर्तमान में प्रसार भारती 467 स्थानों पर अलग-अलग क्षमता (100 वाट से 20 किलो वाट तक) 506 आकाशवाणी (एआईआर) एफएम ट्रांसमीटरों का प्रचालन कर रहा है जोकि भारत के विभिन्न गांवों सहित देश भर में लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र-वार और 65 प्रतिशत जनसंख्या-वार कवरेज प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रचालित होते हैं जो शहरी समुदाय के बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और सामान्यत: किसी विशेष शहर/कस्बे के आसपास के समीपवर्ती गांवों को भी कवर करते हैं। प्रसार भारती देश भर के गैर-सुविधा प्राप्त, सीमांत और दूरवर्ती क्षेत्रों में कवरेज प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है।

जहां तक प्राइवेट एफएम रेडियो का संबंध है, 07.07.2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्राइवेट एजेंसियों (चरण-III) के माध्यम से एफएम रेडियो सेवाओं के विस्तार पर नीति का उद्देश्य एफएम सेवाओं को 227 नए और गैर सुविधा प्राप्त शहरों को प्रदान करना है। प्राइवेट एफएम रेडियो चरण-III नीति शहर केंद्रित है और प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों सहित 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी शहरों को कवर करना अनिवार्य है। इसके अलावा, एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए एक लाख से कम की जनसंख्या वाले जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर एवं महाद्वीपीय राज्य क्षेत्र के 11 कस्बों के लिए भी अनुमोदन दिया गया है। पात्रता मानदंड सहित समग्र नीतिगत दिशानिर्देशों की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ग): उक्त मानदंडों/मापदंडों के उल्लंघन का ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(घ): कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****